तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
07/12/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्र० पत्र के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पेश न्यायिक दृष्टांतों से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। धारा - 212RT Act r.w.o 39 R1&2 CPC के प्र० पत्र को adjudicate करने के लिये इसे निम्न 03 बिन्दुओं पर जाँचना आवश्यक है:-
	(अ) प्रकरण प्रथम दृष्टया :- सर्वप्रथम हमें यह adjudicate करना है कि प्रकरण prima facie किसके पक्ष में है। यहाँ prima facie का अर्थ है - "In the first view or at the first sight or on the first appearance"। आवे० प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम पिड़ावा तहसील पिड़ावा की वाकाब्स आराजी खाता नं० 556 किता 10 रकबा 0.7842 hec, खाता नं० 526 किता 10 रकबा 0.8474 hec, खाता नं० 412 किता 03 रकबा 0.1138 hec, खाता नं० 413 किता 9 रकबा 0.8095 hec, खाता नं० 130 रकबा 0.0253 hec, खाता नं० 338 किता 10 रकबा 0.8347 hec, व खाता नं० 135 किता 10 रकबा 0.8474 hec, प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की शामलाती खाते की आराजी थी जिसका न्यायालय SDO पिड़ावा से 2009 में राजस्व रिकार्ड में तो बटवारा हो गया था लेकिन मौके पर आज तक बटवारा नहीं हुआ है और रिकार्ड में प्रार्थीगण के हिस्से दर्ज भूमि पर कब्जे से अप्रार्थीगण का [illegible] प्रार्थीगण के कब्जे हिस्से खाते दर्ज भूमि [illegible] से प्रार्थीगण का कब्जाकाश्त [illegible] था। इस न्यायालय द्वारा अन्य प्रकरण [illegible] /200[illegible] [illegible]सिंह बनाम रामसिंह में हिस्से व कब्जे के अनुसार खाता विभाजन की प्रा० डिक्री जारी की गई थी लेकिन तत्कालीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	तहसीलदार पिड़ावा द्वारा विधि विरुद्ध रूप से अच्छी मंशा से अच्छी व बुरी मंशा से बुरी के आधार बटवारा प्रस्ताव पेश किया जिसे कोर्ट द्वारा बिना बहस बटवारा प्रस्ताव सुने, विधिविरुद्ध रूप से फाईनल डिक्री जारी की गई जिसके विरुद्ध माननीय RAA Kota मे अपील नं० 142/2023 व 143/2023 पेश की गई है। इसी विधि विरुद्ध फाईनल डिक्री का misuse कर अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जे की भूमि का "बिना भौतिक कब्जा transfer किये", बेचान कर रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा भूमि संपरिवर्तन करा कर plotting करके भूमि का स्वरूप बदल रहे है। खुर्द-बुर्द कर रहे है। हाल मे ही वादग्रस्त भूमि के न्यायालय SDO court pidawa एवं न्यायालय RAA Kot मे वाद pending होते हुए भी हल्का पटवारी पिड़ावा एवं तहसीलदार पिड़ावा द्वारा झूठी रिपोर्ट पेश कर नगरपालिका पिड़ावा ने आवासीय ईकाई हेतु संपरिवर्तित कर भूमि को नष्ट कर प्रार्थीगण के हक व अधिकारी का हनन किया जा रहा है। अधि० प्रार्थीगण द्वारा आगे तर्क किया कि वादग्रस्त आराजी को लेकर कैस भूमि धारक तहसीलदार द्वारा [illegible] मे u/s 177-178 RT Act मे [illegible] कर रखा है जिससे जाहिर [illegible] द्वारा भूमि का स्वरूप बदल कर नष्ट करके [illegible] रहे है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया व सुविधा का	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज 3.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अप्रा० अप्रार्थीगण क्र० 1, 15, 16, 17 ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के बंटवारे के मूलवाद क्र० 424/2005 किशनसिंह बनाम रायसिंह की फाईनल डिक्री की पालना में नामा० क्र० 1212 दिनांक 04/05/2009 दर्ज होकर वादग्रस्त भूमि का पांचों सहखातेदारों (रामी बाई – रामकिशन, रायसिंह, बनेसिंह उर्फ बंशीलाल, दौलतसिंह व रामसिंह के LRs) के खाता विभाजन होकर पृथक-पृथक खाते दर्ज हुई और संवत 2058-61 की जमाबंदी में अमलदरामद भी हो चुका है। इसके बाद इस बंटवारे का सबसे पहले misuse स्वयं रायसिंह ने किया था और अपने खाते दर्ज भूमि ख०न० 1937/169 रकबा 0-07 बीघा में से 0-02 बीघा का बेचान राकेशसिंह पिता बादलसिंह को किया था जिसका नामा० क्र० 1505 दर्ज हुआ था। फिर इसमें 02 बिस्वा भूमि रतनचंद पिता मूंडया को किया जिसका नामा० क्र० 1515 दर्ज हुआ था। इसके बाद, पुनः 01 बिस्वा भूमि का बेचान धर्मेन्द्र पिता खेमराज को किया जिसका नामा० 1725 दर्ज हुआ। प्रार्थीगण द्वारा इन क्रेताओं को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है।

आगे तर्क दिया कि [illegible] court से मूलवाद क्र० 424 [illegible] की थी तो [illegible] नहीं की गई [illegible] 2009 से अपनी भूमि के recorded Khatedar tenants और मौके पर कब्जाधारी हैं और recorded Khatedar tenant

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के विरुद्ध stay order जारी नहीं किया जा सकता है। आवेदित RAA कोर्ट में लंबित appeal में SDO court की PD व FD को set aside नहीं कर दिया जाता तब तक SDO court का फैसला ही प्रभावी रहेगा। यही नहीं विवादग्रस्त भूमि [illegible] / [illegible] के इस प्रकार के मुकदमे में [illegible] अधिकारी की [illegible] का कोई [illegible] नहीं [illegible] है अतः प्रकरण [illegible] में [illegible] नहीं है। [illegible] की [illegible] के पक्ष में नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड व [illegible] का अवलोकन किया गया। हल्का पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया है कि [illegible] 2021-22 के [illegible] [illegible] है कि [illegible] के [illegible] 556 [illegible] 10 कुल रकबा 0.7541 हैक्टेयर [illegible] से [illegible] के [illegible] के [illegible] 556, 412, 418, 130, 335 व 135 [illegible] के [illegible] है। [illegible] का [illegible] है कि इसी [illegible] ने [illegible] के [illegible] के आधार पर [illegible] की 2009 [illegible] के आधार पर [illegible] TDR [illegible] को गैर-कानूनी [illegible] ([illegible] से [illegible] व [illegible] के आधार पर) [illegible] के आधार [illegible] ने [illegible] प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध F.D. (final decree) [illegible] कर TDR ने [illegible] पूरी भूमि को [illegible] किया था। इस [illegible] ने जो भूमि [illegible] [illegible] पर [illegible] के [illegible] [illegible] होकर [illegible] हुई है। SDO court को [illegible] [illegible] डिक्री की [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 5.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	RAA मे Appeal No. 142/2023 व 143/2023 लंबित है / वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत 2058-61 के अनुसार मौजा खाता नं० 421 खसरा नम्बरान 81, 82, 83, 93, 169, 171, 172, 179, 185, 194 व 195 किता 11 कुल रकबा 16-17 बीघा भूमि पांचो भाई रामहित, रामहित, बिशनहित, दौलतहित व मोतीहित मदनलाल देवराम मीणा हिस्सा 1/5, 1/5 दर्ज रिकार्ड थी / जमाबंदी संवत 2066-69 मे SDO court pidawa के निर्णय व डिक्री की पालना मे पांचो भाइयो के मध्य खाता विभाजन होकर पृथक पृथक खाते दर्ज हुई थी / यहां सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु है कि फाईनल डिक्री मे (प्राथमिक डिक्री के विपरीत) अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी के आधार पर बटवारा कर दिया गया (नामान्तरण नं० 1212 दिनांक 04/05/2009) जिसकी प्रार्थीगण द्वारा माननीय RAA Kota के समक्ष अपील लंबित होना प्रतीत होता है / कब्जाकाश्त, बटवारा डिक्री के अनुसार है या नहीं — इस संबंध मे कोई साक्ष्य प्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं किया गया है / 2009 मे बटवारे डिक्री के नामा० नं० 1212 के निर्णित होने के बाद उभय पक्षकारान द्वारा वादग्रस्त भूमि मे से ओको बेचान (sale) किये जा चुके है / क्रेतागण मौका मे खातेदार के रूप मे दर्ज है और उन्हे हस्तगत प्रकरण मे पक्षकार भी [illegible] गया है / कुछ भूमियां का [illegible] कृषि भूमि से [illegible] कृषि भूमि [illegible] पालिका के [illegible] भी जारी किये जा चुके है / स्वयं प्रार्थीगण द्वारा भी भूमि का बेचान किया गया है / अब समान आराजी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	को लेकर समान पक्षकारान के मध्य वाद (suit) की अपील RAA कोर्ट में लंबित है तो फिर उसी (cause of action) वाद हेतुक के लिए Trial court में वाद पेश करना विधिक प्रावधानों के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इसी भूमि/कार्यवाही प्रकरण से लेकर भूमि धारक तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण व अन्य के विरुद्ध u/s 177-178 RT एक्ट वाद सं0 12/2025 सरकार बनाम मनोज जैन व अन्य इसी न्यायालय में लंबित है। अतः स्थगन जारी करने से multiplicity of suit को बढ़ेगी। उपरोक्त विवेचन के आधार प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है। (ब) सुविधा संतुलन :- प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है। क्योंकि डिक्री 2009 में किसी भी पक्षकार का हिस्सा (share) कम नहीं हुआ है। केवल कब्जे की लड़ाई का प्रश्न है जिसकी अपील प्रार्थीगण द्वारा सक्षम न्यायालय में लंबित होना प्रतीत होता है। प्रार्थीगण को अपीलीय न्यायालय में ही स्थगन प्रार्थना पत्र दायर कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए, ना कि Trial court से। कई खसरा नम्बरान का बंटवारा [illegible] है। कई Conversion होकर [illegible] पक्ष में पहले भी [illegible] है। कई खसरा नम्बरान पर मौके रूप से Residential and Commercial निर्माण होने से भूमि धारक	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

7

मे दावा - 177/178 RT Act का बाद भी दायर कर रखा है अत: ऐसी स्थिति मे बिना किसी ठोस सबूत (strong evidence) के अप्रार्थीगण (Recorded khatedar) एवं अन्य क्रेता खातेदार - जो पक्षकार नही बनाये है — के विरुद्ध स्थगन जारी करने से अप्रार्थीगण व अन्य क्रेता खातेदारो व पट्टाधारको को अधिक असुविधा व क्षति कारित होगी। प्रार्थीगण द्वारा फाईनल डिक्री (2009 मे) के करीब 14 वर्षों बाद RAA मे अपील पेश करना और स्वयं प्रार्थीगण द्वारा कई बेचान करना आदि भी संदेह उत्पन्न करता है। अत: हस्तगत प्रकरण मे सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित नही होता है।

(ग) अपूरणीय क्षति :- प्रकरण मे प्रार्थीगण द्वारा कोई भी ऐसा साक्ष्य (strong evidence) पेश नही किया है जिससे उन्हे अपूरणीय क्षति कारित होना साबित हो।

2. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्र० पत्र u/s 212 RT Act r.w.O. 39 R1&2 CPC खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:15 IST
Reason: SelfAttested

[signature] .../26

Scanned with OKEN Scanner